

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 14/2022

दायर दिनांक 04.05.2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोहनराम पुत्र गीदाराम, उम्र 40 वर्ष, 2. प्रेमराम पुत्र गीदाराम, समस्त जाति मेघवाल, निवासी डीकावा, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. देवाराम पुत्र गणेशा, 2. मोहनराम पुत्र गणेशा, समस्त जाति मेघवंशी, 3. कमला देवी पत्नि भेराराम, 4. भंवराराम पुत्र मंगलाराम, 5. नानुराम पुत्र मंगलाराम, 6. गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम, 7. मोरी देवी पत्नि मंगलाराम, समस्त जाति नायक, निवासीयान डीकावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा-251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री रणजीत बलारा वकील प्रार्थी।


--: निर्णय :-

दिनांक 29.08.2022

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 346 रकबा 4.0700 हैक्टेयर मौजा डिकावा, पटवार हल्का निम्बी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थीगण के उक्त खेत 346 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में दर्शित मार्क D से A से A, B, C सबसे नजदीक रास्ता है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 343 पर मार्क A से B, खसरा सं0 344 पर मार्क B से C प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)



—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 346 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: 1416 दिनांक 29.07.2022 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 343 पर मार्क B से C, खसरा सं0 344 पर मार्क C से D प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद डीकावा में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो।

तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: 1416 दिनांक 29.07.2022 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (सागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (सागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना